रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 2009/ज्येष्ठ 30, 1931
No. 107] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 2009/JYAISTHA 30, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जून, 2009

सं. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, नई मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी

आदेश

(जून, 2009 के 17वें दिन पारित)

यह मामला नई मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता विस्तारित से संबंधित है ।

2. 11 मई, 2006 को यह प्राधिकरण अपने पिछले आदेश संख्या टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी के द्वारा नई मंगलौर पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को अनुमोदित किया था। 13 जून, 2006 को आदेश के साथ दरमान भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र नवम्बर 99 को देखें । अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 तक निर्धारित किया गया था।

3. आपके पत्र दिनांक 30/31 मार्च, 2009 के द्वारा एनएमपीटी अगले (आने वाले) तीन वर्षों के लिए यातायात की पूर्वानुमान को प्रस्तुत करने में निश्चित कठिनाई को व्यक्त कर चुका है और जून 2009 तक दरमानों में सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करने के लिए सहमति व्यक्त कर चुका है। इसी बीच वर्ष 2009 के अंत तक अपने मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करने के लिए अनुरोध कर चुका है अथवा संशोधित दरमान की अधिसूचना जारी होने तक, जो भी पहले हो ।

4. एनएमपीटी की प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से एवं 31 मार्च, 2009 तक मौजूदा दरमान की वैधता समाप्त हो चुकने की स्थिति को देखते हुए, प्राधिकरण एनएमपीटी की मौजूदा दरमान की वैधता को 30 सितम्बर, 2009 तक विस्तारित करता है, साथ ही एनएमपीटी को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक 30 जून, 2009 तक अपने दरमान की सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव को दाखिल करे जैसे कि पत्तन न्यास से आश्वासन प्राप्त है।

5. यदि 1 अप्रैल, 2009 के बाद यदि स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से कोई अतिरिक्त अधिशेष प्रकट होता है तो उसे निर्धारित प्रशुल्क से पूर्णतः समायोजित किया जायेगा ।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2009

No. TAMP/42/2005-NMPT.—In exercise of the power conferred under Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the New Mangalore Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/42/2005-NMPT

ORDER

(Passed on this the 17th day of June, 2009)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the New Mangalore Port Trust (NMPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the NMPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/42/2005-NMPT dated 11 May, 2006. The Order alongwith the SOR was published in the Gazette of India on 13 June, 2006 *vide* Gazette No. 99. The validity of the approved SOR was prescribed till 31 March, 2009.

3. The NMPT vide letter dated 30/31 March, 2009, has expressed certain difficulties in projecting the anticipated traffic for the next three years and agreed to submit its proposal for general revision of SOR by the end of June 2009. In the meanwhile it has requested to extend the validity of the existing SOR till end of calendar year 2009 or up to the date of notification of the revised SOR, whichever is earlier.

4. In view of the submission made by the NMPT and also recognising that the validity of the existing SOR has expired on 31 March, 2009, this Authority extends the validity of the existing SOR of NMPT till 30 September, 2009 with a direction to the NMPT to file its proposal for general revision of its Scale of Rates latest by 30 June, 2009 as assured by the port.

5. Additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1 April, 2009 will be adjusted fully in the tariff to be determined.

BRAHM DUTT, Chairman

[ADVT III/4/143/09-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.